150वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को इससे बड़ी और कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।

महोदय, यद्यपि मैंने आपसे यह वादा किया था कि उस विशेष मुद्दे को नहीं उठाऊंगा, परन्तु मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कर्नाटक राज्य के सभी संसद सदस्यों ने आपसे इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। मैं यही कहना चाहता हूं। हम सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना, आप क्यों खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैं आपसे और संसदीय कार्य मंत्री से अपील करता हूं कि जब आपके पास समय हो, आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें और हमारे साथियों को भी अपनी बात कहने की अनुमति दें। इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। हम सुस्पष्ट, शांति पूर्ण चर्चा करें, ताकि हम अपने विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान कर सकें और इस समस्या का समाधान कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हम अधिकाधिक यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र के लायक नहीं हैं। अब हम संसदीय लोकतंत्र के लायक नहीं रहे हैं। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मुझे अपनी सीमाएं मालूम हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपसे यह किसने कहा कि इस पर चर्चा नहीं की जाएंगी?

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम यहां उपस्थित हैं। 1991 में जब स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे, उस समय इस मामले पर चर्चा की गई थी और उस समय श्री टी.आर. बालू यहां नहीं थे। ...*(व्यवधान)* हमने इसी सभा में इस मुद्दे पर चार घंटें चर्चा की है। ...*(व्यवधान)* महोदय, यदि आप अनुमति दें, तो हम स्वीकार करेंगे और यदि आप हमें अनुमति नहीं भी देते तो भी हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत संवेदनसील मुद्दा है। मैं जानता हूं कि इस सभा में अध्यक्षपीठ का कोई सम्मान नहीं है। हमने इसके प्राधिकार को बहुत ही कम कर दिया है। इस सभा में अध्यक्षपीठ की ओर से जो कहा जा रहा है उसे सुनने का सामान्य सा शिष्टाचार भी यहां नहीं है। आप इसे ऐसा करना छोड़ दीजिए।

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने चर्चा करने की अनुमति दी है। मैंने केवल यही कहा था कि उचित अवसर पर समय अवधि का निर्णय लिया जायेगा और आप लोग मुझसे सहमत थे। यह कहा गया था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद में वित्तीय कार्यों को पूरा करने का प्राथमिकता दूंगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे मना कर दिया जायेगा। दुर्भाग्यवश, आपने यह विनिर्दिष्ट किया है कि जैसे मैंने नियम 193 के अंतर्गत नोटिस को मना कर दिया है। मैंने नोटिस को अस्वीकृत नहीं किया है। जब आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर मांगा तो आपने यह कहा था कि आप संदर्भ नहीं देंगे क्योंकि आप जानते हैं क्या हो रहा है। मैं इस पर व्यवस्थित वाद-विवाद चाहता हूं। परन्तु उस मुद्दे पर कतिपय संदर्भ हमेशा से समस्याएं उत्पन्न करेंगे। हमें इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री के उत्तर को सुनना चाहिए।

इसलिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम अध्यक्षपीठ की ओर से, जब तक कि मैं यहां हूं, किसी भी चर्चा को मना करने की कोई मंशा नहीं है। कृपया भगवान के लिए अध्यक्षपीठ की मंशा पर कोई आरोप नहीं लगाइये। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं इस सभा में सबको भरोसा दिलाता हूं। मुझे इसे छोड़ने में आधे सैकेण्ड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस सभा के सभी माननीय सदस्यों के साथ मैं भी माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति उनके प्रेरणास्पद अभिभाषण के लिए आभार प्रकट करता हूं जिसमें हमारी सरकार की विस्तृत कार्यनीतियां, नीतियां एवं कार्यक्रम, हमारे समक्ष की चुनौतियों और इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाए जिससे कि वे नये भारत के निर्माण के अवसर बन सकें, का उल्लेख किया गया है जिसमें एक ऐसी विकास प्रक्रिया भी शामिल है जिससे हमारे देश के सभी क्षेत्रों, हमारे देश के सभी समुदायों, वर्गों को एकीकृत करने में सहायता मिलेगी।

[डा. मनमोहन सिंह]

एक ऐसी विकास प्रक्रिया जो हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोएगी। लोगों को एकजुट करेगी और अलग-अलग आधारों पर उन्हें पृथक करने से रोकेगी।

महोदय, एक राष्ट्र के रूप में हमारी मुख्य चिंता घोर गरीबी, अज्ञानता और बीमारी, जो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को अभी भी प्रभावित करते हैं, को दूर करने के लिए निरन्तर कार्य करना है। घोर गरीबी की कटुता को कम करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। किन्तु अभी भी हमें एक लम्बा सफर तय करना है और हमारी सरकार की मुख्य चिंता, चाहे यह आन्तरिक मामलों या बाह्य मामलों से संबंधित हो, समग्र विकास प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन अवसरों में वृद्धि करना है जो हमारे समुदाय के सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया में प्रभावशाली भागीदार बनाएंगे।

मुझे हमेशा यह विश्वास रहा है और मुझे ये विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या को प्रभावित करने वाली गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों का उपयुक्त समाधान केवल प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि गत तीन वर्षों के अपनी सरकार के शासन काल में हमने विकास प्रक्रिया को गति दी है जो यह सिद्ध करता है कि आगामी वर्षों में यदि हम अपने समग्र विकास प्रक्रिया को गति दी है जो यह सिद्ध करता है कि आगामी वर्षों में यदि हम अपने समग्र विकास प्रक्रिया के प्रति कटिबद्ध रहें तो हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने में काफी हद तक सफल हो सकेंगे।

गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् हमारी सरकार के कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष औसतन 8.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। इस वर्ष शायद वृद्धि दर 9 प्रतिशत को भी पार कर जाए। ...*(व्यवधान)* हमारे इतिहास में पहली बार, हम सकल घरेलू उत्पाद का 34 प्रतिशत निवेश करने में सफल हुए हैं। हमारी बचत दर भी बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 32 प्रतिशत तक हो गई है।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आगामी 10 से 15 वर्षों में कार्य करने वाली आयु में आने वाले लोगों का अनुपात, जनसांख्यिकीय ढांचा बढ़ रहा है। यदि हम इस आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर ढूंढ़ सकें तो इससे हमारी बचत दर में वृद्धि होगी और हमारी निवेश दर में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ हम गरीबी और उपेक्षित लोगों की समस्याओं को काफी हद तक दूर करने में सफल होंगे।

इसके पश्चात्, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं जिनका सामना देश कर रहा है, के समाधान के लिए विकास अनिवार्य है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, हमें उद्देश्यपूर्ण रणनीति अपनाने की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करेगी कि विकास प्रक्रिया का लाभ हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों को मिल सकें; हमारे किसान इन लाभों को प्राप्त कर सकें; हमारी नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारी कृषि में उत्पादकता में सुधार हो सके; हमारी नीतियां और कार्यक्रम क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने वाली हो जो विगत में हमारे विकास ढांचे की विशेषता रही है तथा विकास प्रक्रियाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि यह उपेक्षित वर्गों-चाहे वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसख्यकों, महिलाओं और हमारे बच्चों से संबधित हो-को आशा की एक किरण दिखा सके। यही बातें हैं जिन पर सभा में विभाजन नहीं होना चाहिए। इन्हीं के माध्यम से हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों को एकजुट किया जा सकता है।

जब मैंने वाद-विवाद को सुना, तो मैं इस तथ्य से प्रोत्साहित हुआ कि दलगत मंतभेद होने के बावजूद इस सभा में एक व्यापक सहमति है कि हमें एक दिशा विशेष की ओर अग्रसर होना चाहिए, अर्थात् हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि विकास प्रक्रिया का लाभ सबको मिले; कृषि की जरूरतों और किसानों की जरूरतों की ओर प्राथमिकता आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए अर्थात् विकास की इस प्रक्रिया में यदि मुद्रास्फीति कोई समस्या उत्पन्न करती है और इससे समाज के गरीब तबको को व्यथा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो इससे भी प्राथमिकता आधार पर निपटा जाना चाहिए।

महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार की चिंताएं भी इन सब बातों से ही संबंधित है और हम समग्र विकास के पथ की ओर निरन्तर बढ़ते रहेंगे। समग्र विकास से मेरा क्या अर्थ है? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे देश के लिए आर्थिक नीति की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित किया था। पंडित जी कहा करते थे कि कृषि इंतजार नहीं कर सकती है और वह सही थे। किन्तु उन्होंने हमें यह भी बताया था कि भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश का भाग्य हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र औद्योगिकीकरण में निहित है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कृषि उत्पादकता में सुधार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपितु हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जैसे देश में जहां औसत जोन बहुत कम हैं; तो कृषि उत्पादकता में सुधार की भी सीमाएं हैं। इस समस्या का दीर्घकालिक उपाय लोगों को कृषि से हटाकर, विनिर्माण क्षेत्र, सेवाओं और अन्य गैर कृषि कार्यों की

ओर ले जाना है और इसी संदर्भ में हमारे देश का औद्योगिकीकरण, एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे उद्योग क्षेत्र पहले से ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके, एक सामयिक चिन्ता बन जाता है। यही वो बात है जो इस देश के लोगों को एक करती है।

मैं जानता हूं ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो इस सभा के लिए चिंता का विषय है जैसे क्या किसी विशेष औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में इतनी अधिक भूमि का नुकसान हो रहा है जिसके अवांछित परिणाम हो सकते हैं। हमें उन चिंताओं की ओर ध्यान देना होगा। लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि मेरे मित्र बुद्धदेव भट्टाचार्यजी सही कहते हैं, कि इस देश में अब समय आ गया है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण के लिए पूरी लगन और त्वरित गति से कार्य करना होगा। इसलिए, मुझे इस बात से संतुष्टि होती है जैसाकि वाद-विवाद में देखा गया कि दलगत मतभेद के बावजूद हमारा देश, हम जिस दिशा में अग्रसर हैं उसके प्रति एकजुट है।

महोदय, आडवाणी जी और कई अन्य माननीय सदस्यों ने कृषि संबंधी समस्याओं का जिक्र किया। मैं मानता हूं कि हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रगति की दर पर्याप्त नहीं रही है। यह हमारी जरूरत से बहुत ही कम है और हमें कृषि के विकास, कृषि उत्पादन में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए बहुत कुछ करना होगा। हम इसे किस प्रकार करेंगे?

महोदय, सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार किये जाने पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है। सिंचाई, भारत निर्माण के हमारे कार्यक्रम की प्रमुख चिंता है। आगामी माह में आरम्भ होने वाली 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, हमें शुष्क भूमि कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हाल ही में गठित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर देखेगा। हमारे कृषि क्षेत्र हेतु संस्थागत ऋण के तीव्र विस्तार की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक निपटाया जायेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में किसान अभी भी भारी कर्ज की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमने इसकी जांच के लिए डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की है। हमें जैसे ही इसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी हम उस पर शीघ्रता से कार्यवाही करेंगे।

महोदय, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवा के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि में पिछड़े हुए जिलों की पहचान कर ली गई है। इन जिलों की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्र विशेष संबंधी रणनीतियां बना ली गई हैं। इसके अलावा, इन सभी जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम के दायरे में लाया जायेगा जिससे निर्धन ग्रामीणों और उपेक्षित ग्रामीण तबकों को महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा।

महोदय, जैसाकि यह सभा अवगत है, इस कार्यक्रम के दायरे में अब 330 जिले हैं और ग्यारहवीं योजना में हमारे देश के सभी ग्रामीण जिलों को इसमें शामिल कर लिया जायेगा। इसके अलावा, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्राम विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल और ग्रामीण आवास पर बल देते हुए ग्रामीण अवसंरचना के भारत निर्माण नामक विकास के लिए तैयार किये गये कार्यक्रम, ग्राम स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता के साधार में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष भी पिछड़े जिलों में ग्राम स्तरीय बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार पर बल देगा। मेरी अनुमति यह है कि हमने जिन कार्यक्रमों का चयन किया है, यदि उनका अच्छी तरह से कार्यान्वयन हो तो इनसे घोर गरीबी की कटु सच्चाइयों को कम करने में पर्याप्त सहयोग मिलेगा। राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि वे शासन की गुणवत्ता में सुधार करे और इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी खामियों को दूर करें।

महोदय, मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने वाले महीनों में कृषि उत्पादन में ठहराव से उत्पन्न चुनौतियों को बहुत गंभीरता से ले रही है। हम समस्याओं की पहचान करने के लिए लगातार कार्य करेंगे क्योंकि देश के हर भाग की समस्याएं अलग-अलग है। मैंने योजना आयोग से कृषि के विकास के लिए विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। हम कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुला रहे हैं।

महोदय, अनेक सदस्यों ने महंगाई के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं भी इनकी चिंताओं से सहमत हूं। लेकिन महोदय, मुझे पूरा भरोसा है कि मांग और आपूर्ति दोनों क्षेत्रों के संबंध में हमने जो उपाय किए हैं उनसे हमें आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। पहले ही इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि पिछले दो हफ्तों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट आई है। ये आंकड़े उपलब्ध हैं।

[डा. मनमोहन सिंह]

तथापि, मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि हम मजबूत विकास की गति, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आइना है; पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपूर्ति की कमी को हम घरेलू कृषि की लाभप्रदता को प्रभावित किये बिना आयातों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अंशत: फसल में गिरावट और अंशत: पूरे विश्व में जैव-ईंधन के उत्पादन में उपयोग करने हेतु बढ़ती हुई मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं, मक्का और वनस्पति तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों और खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो घरेलू मूल्यों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

तथापि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये मौद्रिक उपायों और आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी और आयातों के माध्यम से घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए किये जा रहे प्रबंधों से संबधित वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से, मुझे पूरा विश्वास है, की वांछित प्रभाव पड़ेगा।

वास्तव में हमें मध्यावधि में खाद्यान्नों, वनस्पति तेलों और दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक अधिक कारगर रणनीति बनानी चाहिए और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यही हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं कृषि मंत्रालय और योजना आयोग से अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रवार योजना तैयार करने के लिए कह रहा हूं। इन योजनाओं पर कृषि को पुनर्जीवित करने संबंधी समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

महोदय, मैं अपने राष्ट्र की जल संसाधन के प्रबंधन संबंधी समस्याओं के विस्तार में नहीं जाना जाता। लेकिन इस संबंध में मैं केवल यही कह सकता हूं कि आगामी वर्षों में सतत विकास के लिए हमें अपने जल संसाधनों का प्रबंधन एवं अंतर्राज्यीय विवादों पर समाधान करने के लिए सक्षम और कारगर उपाय करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैं सभी राजनीतिक दलों से यह अनुरोध करता हूं कि वे जल को राष्ट्रीय संसाधन समझें न कि ऐसा मुद्दा जिससे लोगों को बांटा जाए। हमें इन मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना और सद्भाव के साथ मिल जुलकर काम करना चाहिए।

आडवाणी जी ने आंतरिक सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के बारे में सरकार की आलोचना की है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री आडवाणी जी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस संबंध में यदि अधिक कहा जाता तो शायद वे संतुष्ट हो जाते, लेकिन मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वास्तव में जमीनी स्तर पर किये गये परिश्रमपूर्ण कार्यों में हमारी सरकार और हमारे गृह मंत्रालय की उपलब्धियां पिछली सरकार से बेहतर है। चाहे वह पूर्वोत्तर हों; चाहे जम्मू कश्मीर हो अथवा चाहे नक्सल प्रभावित जिले हों आज समूचे देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति उससे अच्छी है जो हमने पिछली सरकार के समय देखी थी। हालांकि हमारे शासनकाल में भी हमने वैसी ही आतंकी घटनाएं देखी है जैसी हमने संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन शासन के दौरान देखी थी लेकिन फिर भी हमारे शासनकाल के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति उतनी खराब कभी नहीं हुई जितनी संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शासन के दौरान हुई थी और न ही हमारे शासनकाल के दौरान गुजरात जैसी साम्प्रदायिक हिंसा हुई है। आप गुजरात में गोधरा की घटना के बाद फैली हिंसा की स्थिति की तुलना में पिछले वर्ष में हुए बम विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में उत्पन्न स्थिति से कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे बर्बर आतंकी कृत्यों के बाद जान-माल की क्षति को कम करने के लिए किये जा रहे सभी कार्यों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से बता सकते थे। इसके लिए हमें अभिभाषण में कई पैरे जोड़ने पड़ते। इस अवसर पर मैं अपने सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों को उनके अनुकरणीय कार्य के लिए बधाई देता हूं जिन्होंने मुम्बई मालेगांव, असम हर प्रकार की स्थिति को उचित ढंग से संभाला है अथवा चाहे वह नागपुर हो जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, पर हमले की योजना को विफल कर दिखाया है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक हिंसा न फैले। बल्कि मुम्बई में हमने देखा कि हजारों लोग शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आगे आए।

महोदय, हम आन्तरिक सुरक्षा संबंधी खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। चाहे वह आतंकी तत्व हो अथवा नक्सली तत्व हो, मैं इनमें से किसी भी खतरे को कम करके नहीं आंकता हूं। मैंने स्वयं इस महत्वपूर्ण मामले पर मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और यह कहा था कि केन्द्र, राज्य सरकारों द्वारा उनकी सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए की गई किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए कृतसंकल्प है।

जहां तक नक्सलवाद का संबंध है जिसे हाल ही में इस सभा के वर्तमान संसद सदस्य की हत्या के बाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। हम इस समस्या से निपटने के लिए निरन्तर दो तरफा तरीके अपना रहे हैं।

एक तरफ हम नक्सल विरोधी कार्रवाई में लगे सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए राज्यों को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। हम उन्हें हरसंभव सहायता दे रहे हैं। हम उन्हें प्रशिक्षण और आसूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता दे रहे हैं। हम राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन गंभीर कारणों को भी उपेक्षा नहीं कर सकते, जिनसे हमारे देश के कुछ भागों में आदिवासियों और अन्य वर्गों में असंतोष पैदा हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को भूमि का अधिकार देता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के सुधार में योगदान देता है। इन सभी का उद्देश्य यही है कि इन्हें भी देश के शेष भागों में चल रही विकास की प्रक्रिया के सकारात्मक प्रभावों का लाभ मिले और इन्हें हिंसा के पथ पर जाने से रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी जी ने असम का उल्लेख करते हुए कहा है कि उल्फा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। वे जानना चाहते हैं कि अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा से असम में उग्रवाद और हिंसा की भर्त्सना करता रहा हूं जैसा मैं अन्य आतंकी घटनाओं की करता हूं और मुझे यह कहने में कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम केवल उन्हीं लोगों से वार्ता करेंगे जो शांति चाहते हैं न कि उनसे जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। हमें अपने उन भारतीय भाई-बहनों से, चाहे वह कितने भी भ्रमित क्यों न हो, वार्ता करने में कोई गुरेज नहीं है यदि उससे हमारे लोगों के बीच शांति की स्थापना की जा सकती है। लेकिन हम अपनी देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे अथवा निर्दोष लोगों को मारने वालो को दंड दिये बिना नहीं छोड़ेंगे। इसी उद्देश्य के मद्देनजर हमने पीपल्स कंसलटेटिव ग्रुप के साथ संवाद आरंभ किया है ताकि धीरे-धीरे उल्फा को भी इस वार्ता में शामिल किया जा सके। जब तक वार्ता में सफलता नहीं मिली तब तक हम सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रखी। केवल किसी एक उग्रवादी संगठन का उल्लेख करने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए इच्छाशक्ति आवश्यकता है और शांति तथा व्यवस्था के संकल्प तथा किसी भी आतंकवादी योजना को विफल करने की आवश्यकता है इसके बारे में हमारे संकल्प की दृढ़ता के संबंध में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

महोदय, जहां तक आईएमडीटी का संबंध है तो मैं इस मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं। असम में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतर लोगों को सामान्यत: यह डर रहता है कि विदेशियों का पता लगाने की प्रक्रिया अल्पसंख्यक के उत्पीड़न का औजार न बन जाए। यही कारण है कि उन्हें पुन: आश्वासन दिया जाता है कि आईएमडीटी अधिनियम अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने के लिए नहीं अपितु अपने देश के वास्तविक नागरिकों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। मुझे मालूम है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आईएमडीटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात हमने विदेशियों (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन कार्य किया है। असम के लिए अवैध प्रवासियों का पता लगाने की पृथक प्रक्रिया बनाई गई थी। जिसे उच्चतम न्यायालय ने अनावश्यक बताकर रद्द कर दिया था। हमारी मंशा, मैं इस बात को साफतौर पर कहना चाहता हूं कि भारत के वास्तविक नागरिकों को अनुचित उत्पीड़न से बचाना है। हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए विद्यमान कानूनों के अंतर्गत काम करते रहे हैं। 1964 के आदेश के अंतर्गत अधिकरणों का गठन किया जा चुका है और यह कार्य जारी है। अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें देश से बाहर निकालने के कार्य में हमारी ओर से न कोई ढिलाई है और न हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी है।

अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों श्री बसुदेव आचार्य और रामजीलाल सुमन ने देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

मुझे विश्वास है कि जैसाकि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि "भारत को जनसांख्यिकीय लाभ तभी मिल सकेगा जब हम क्षमता निर्माण और बच्चों के बौद्धिक एवं संवेदनशील विकास में निवेश करेंगे।" इसलिए हमें अपने युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करने की आवश्यकता है और इसके साथ-साथ हमें उन्हें इन अवसरों का लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाना होगा। तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों का सर्वोत्तम सृजक है। हम विनिर्माण, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण और सेवा जैसे रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने वाले क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

ग्रामीण भारत में एनआरईजीए के अंतर्गत न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के रूप में ग्रामीण गरीब जनता को सौ दिन का सुनिश्चित

[डा. मनमोहन सिंह]

रोजगार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार आईआईटी के आधुनिकीकरण और व्यावसायिक शिक्षा मिशन तथा हाल ही में आठवीं कक्षा, नौवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए घोषित छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से युवावर्ग को सुशिक्षित किया जा रहा है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अपनी जनशक्ति को और अधिक कुशल और सक्षम बनाने के हमारे प्रयास आगामी वर्षों में समग्र विकास का सबसे बड़ा माध्यम होगा। मैं भारत को कई उत्पादों के विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभरते हुए देखता हूं और भारत एक ऐसा केन्द्र बन जाएगा जैसा यह सदियों पूर्व में था।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों, उदाहरण के लिए, श्री बसुदेव आचार्य ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का उल्लेख किया है। जैसाकि मैंने कहा है कि हमें औद्योगीकरण की आवश्यकता है और यदि हमें औद्योगीकरण करना है तो हमें उद्योगों का प्रोत्साहन देने होंगे जोकि श्रम आधारित होंगे। यदि कतिपय प्रोत्साहन देने होंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। आज हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कुशल मजदूर और पूंजी अंतरराष्ट्रीय रूप से पूर्णतया सचल है। इसलिए हमारी प्रोत्साहन व्यवस्था इतनी प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए जो घरेलू और विदेशों दोनों से अधिक पूंजी आकृष्ट कर सके। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह सही है। मेरे सहयोगी श्री प्रणव मुखर्जी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण की समीक्षा कर रहे हैं, जो मंत्रियों के उस समूह के अध्यक्ष हैं, जो कि यह पता लगाएगा कि क्या वर्तमान नीतिगत ढांचे में कोई त्रुटियां हैं। सभी वास्तविक शिकायतों का समाधान करना हमारा उद्देश्य होगा। अगर हमने अधिनियम के विशेष अवयवों के अधिनियम में कोई गलती की है, तो हम किसी औपचारिकता पर बल नहीं देंगे; हम आवश्यक संशोधन करेंगे।

लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, कि विशेष आर्थिक क्षेत्र विवाद ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत किये जाने वाले क्षेत्रों के बेदखल किये गये परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की समस्याओं के बारे में काफी समय से अपेक्षित वाद-विवाद को जन्म दिया है। मेरा निश्चित रूप से ऐसा मानना है कि अधिक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें उन सभी लोगों की समस्याओं पर ध्यान देता है जो भूमि लिये जाने के परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करते हैं तथा हमारा यह प्रयास होगा कि उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अधिक मानवीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लाई जाए।

महोदय, विपक्ष के माननीय नेता के वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रशासन में नैतिकता के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महोदय, और भी रिपोर्टें हैं जिसे हमारी सरकार ने तैयार की है। मैं इन रिपोर्टों को काफी महत्व देता हूं क्योंकि ये शासन तथा नीति के संबंध में मूल्यवान विचार प्रस्तुत करती हैं। मैं पूरी संजीदगी से यह मानता हूं कि दीर्घावधि में नीति निर्माण में निहित स्वार्थों की बजाय विचारों का प्रभुत्व रहेगा।

मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे देश में विकास तथा शासन को नई दिशा देने के लिए नए विचारों के सृजन के बौद्धिक प्रयास से जुड़े हुए हैं। जैसाकि कार्ल मार्क्स ने टिप्पणी की थी "जब लोगों के दिमाग में विचारों का प्रभुत्व हो जाता है तो वे एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाते हैं।"

श्री इलियास आजमी सहित कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा आरंभ किये गये विकास कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार तथा व्यय के क्षरण के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं उनकी चिंता से सहमति रखता हूं। अगर हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने हैं तो हमें अनेक कार्यक्रमों के काफी बेहतर क्षरण रहित क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। विकास कार्यक्रमों में लगाये जा रहे हजारों करोड़ रुपये से तब तक कोई फल नहीं प्राप्त होगा जब तक कि उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से तथा नीतिपरक ढंग से व्यय नहीं किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान आरंभ किये गये ग्रामीण विकास तथा अन्य कार्यक्रमों में प्रत्येक जिले को 150 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये तक उपलब्ध कराया जाता है। यह काफी बड़ी राशि है। अगर इन्हें विवेकपूर्ण ढंग से व्यय किया जाता है तो इससे अत्यधिक गरीबी के तीक्ष्ण धारों को काफी हद तक नरम किया जा सकता है। तथापि, इसे सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम से कुछ हद तक शासन में जवाबदेही आयी है। इसके साथ ही, अगर हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है तो हमें लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ कार्य करेगी कि विकास कार्यक्रमों के परिणाम परिव्यय के अनुरूप हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने देश के कुछ भागों में सांप्रदायिकता के पुन: सिर उठाने तथा असहनशीलता के लक्षणों के बारे में श्री मधुसूदन मिस्त्री, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, सहित अनेक वक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सहमति रखता हूं। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि हमारे देश के कुछ भागों में फिल्मों की स्क्रीनिंग तथा विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति है। महोदय, संप्रग सरकार सत्ता में

इसलिए आई क्योंकि हमारे देश के लोगों ने सांप्रदायिक तथा कट्टरपन को नकार दिया। हमारी सर्ववादी संस्कृति में तथा हमारी सर्ववादी सांस्कृतिक विरासत में ऐसी असहनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा समाज एक खुला समाज है। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या हमारा खुला समाज बंद दिमाग का होता जा रहा है। मैं निश्चित रूप से यह आशा करता हूं कि ऐसा नहीं है। संप्रग किसी को भी हमारे प्रजातांत्रिक परम्पराओं को कमजोर करने की छूट नहीं देगी। इसके साथ ही, हम कभी भी इसकी छूट नहीं देंगे कि कोई ताकत हमारे लोगों की एकता को भंग कर दे। हम धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवाद के अपने सांविधिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं सांप्रदायिक पुनरुत्थान तथा कट्टरतापूर्ण असहनशीलता के लक्षणों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सहमत हूं। हम भी देश के विभिन्न भागों से रिपोर्टें मिलती रहती हैं। मैं सभी सदस्यों तथा देश के प्रत्येक नागरिक को यह आश्वासन देता हूं कि हम सांप्रदायिकता तथा कट्टरवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों से मुकाबला करेंगे। हम अपने प्रजातांत्रिक गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष तथा बहुलवादी आधार की रक्षा करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक भी हमारी वृद्धि प्रक्रियाओं से लाभान्वित हों तथा वे पीछे न छूटें। मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। सच्चर समिति ने अपने देश में मुस्लिम समुदाय की स्थितियों के बारे में कठोर वास्तविकता को सामने ला दिया है। नया 15 सूत्री कार्यक्रम महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों विशेषकर स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लाभों में समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने पर केन्द्रित हैं। हम अल्पसंख्यक संकेन्द्रण वाले जिलों के लिए भी लक्षित कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। दीर्घावधि में जब सभी समुदाय अपने सामाजिक संकेतकों को पूरा कर लेंगे तब ऐसे कार्यक्रमों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वर्तमान विषमताओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए।

महोदय, अंत में मैं विदेश नीति के मुद्दों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। महोदय, मैं इससे संतुष्ट महसूस करता हूं कि हम अपनी विदेश नीति की दिशा के बारे में व्यापक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने में सक्षम हुए हैं। जैसाकि मैंने अक्सर कहा है कि हमारी नीति हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित को प्रतिबिम्बित करती है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण के सृजन की आवश्यकता को

अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक घटक मानते हैं। हम अपने क्षेत्र में शांति तथा स्थायित्व को भी अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। हमारी विदेश नीति का लक्ष्य भारत के लोगों को उपलब्ध विकासात्मक विकल्पों का विस्तार करना; अपने नागरिकों को उनकी नैसर्गिक उद्यमशीलता तथा सृजनशीलता दिखाने की संभावनाओं का विस्तार करना तथा अपने निकट एवं सुदूर पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाले समृद्ध, साम्यपूर्ण तथा अंतर्वेशी राष्ट्र के निर्माण को सुकर बनाना है। अगर हमारी विदेश नीति संबंधी पहलों को इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सभी दिशाओं में हमारे दृष्टिकोण में सुसंगति है।

पिछले दो सालों में रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ, जापान तथा आसियान राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं। हमने अनेक नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संबंधों का विस्तार किया है तथा इन सभी क्षेत्रों में विश्व मामलों में भारत का महत्व बढ़ा है। यह समझा जा रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में भारत की सफलता का विश्व के लिए गहरा निहितार्थ एवं सबक है। हमारी सफलता लोकतंत्र, सर्ववाद, सद्भाव खुलापन और विविधता के प्रति सहिष्णुता की सफलता है। इसके साथ-साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ हमारे पारम्परिक संबंध भी प्रगाढ़ हुए हैं तथा हमारी सरकार का विचार आने वाले वर्षों में इसमें और विस्तार करने का है। हमारे संबंधों में इस व्यापक सुधार के लाभों का हमारे लोगों के लिए वास्तविक लाभ व्यापार में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, हमारे व्यवसाय उद्यमों की पहुंच के विस्तार में हुआ है। महोदय, मैं मानता हूं कि हमने अपने आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु को पार किया है जहां हमें उभरती हुई वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के प्रबंध में अब महत्वपूर्ण, विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाता है।

अगले महीने के आरंभ में हमारे निकट पड़ोसी देश में सार्क सम्मेलन होने जा रहा है। भारत अपने उपमहाद्वीप में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांति, सम्पन्नता तथा परस्पर लाभदायक आर्थिक और सामाजिक विकास चाहता है। मैंने यह अक्सर कहा है कि इस क्षेत्र के राष्ट्रों का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। हम स्पष्ट कठिनाइयों के बावजूद क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में शिथिल नहीं हुए हैं। सार्क के आगामी अध्यक्ष के रूप में हम सार्क क्षेत्र के सभी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के दायरे में विस्तार करेंगे। मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि यह आशा अभिव्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा कि सार्क सम्मेलन उद्देश्यपूर्ण तथा इसके बेहतर परिणाम होंगे तथा दक्षिण एशिया के सभी लोगों की प्रगति एवं कल्याण में योगदान करेगा।

[डा. मनमोहन सिंह]

महोदय, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में आमूलचूल सुधार करने के लिए दृढ़संकल्प होकर कार्य करते रहे हैं। इसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में यह सदन अच्छी तरह अवगत है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे द्वारा किये गये प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने आरंभ हो गए हैं। हम दोनों राष्ट्रों के बीच दीर्घकालीन शांति, मित्रता और सौहार्द चाहते हैं। हम इस दिशा में कृतसंकल्प होकर कार्य करेंगे। मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि संवाद के माध्यम से हम सभी बकाया मामलों का समाधान करने में समर्थ होंगे तथा मुझे दोनों देशों के भविष्य के बारे में हमारी प्रगति के लिए, हमारी समृद्धि के लिए काफी उम्मीद है।

महोदय, अंत में इस सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनका धन्यवाद करते हुए, मैं पुनः माननीय सदस्यों के प्रति, विभिन्न राष्ट्रीय तथा स्थानीय महत्व के मुद्दों पर अपने मौलिक विचार प्रकट करने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा कई संशोधन लाए जाने के पीछे उनकी भावनाओं का आदर करता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

हमारी सरकार इस सम्माननीय सभा में दिये गये प्रत्येक महत्वपूर्ण सुझाव तथा व्यक्त की गई चिंताओं पर गौर करेगी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन पेश किये गये हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं अथवा कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहते हैं?

कई माननीय सदस्य: जी, हां। कृपया सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब सभी संशोधनों को एक साथ सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब मुख्य प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी, 2007 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.02 बजे

खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

और

खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 13 एवं 14 एक साथ लेंगे। मद सं. 13 सांविधिक संकल्प से संबंधित है। श्री बची सिंह रावत-अनुपस्थित।

श्री रामजीलाल सुमन-अनुपस्थित।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 2 फरवरी, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों में अनिवार्य हिस्सेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों की अधिकतम संख्या में श्रोताओं में और दर्शकों की फ्री टू एयर आधार पर पहुंच और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एक अधिनियम द्वारा